



कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।
(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य को सील करने हेतु नोटिस)

पत्रांक: 545 / वाद सं० सी-0473/एस-सेलाकुई/2025

दिनांक: 19/09/2025

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि विपक्षी श्री सुनील थापा, बहादुरपुर रोड़, सेलाकुई, तहसील विकासनगर, देहरादून द्वारा उपरोक्त स्थल पर बिना मानचित्र स्वीकृत करार्यें भूतल पर लगभग 2.5 बीघा क्षेत्रफल में कॉलम डालते हुए क्रीडा मैदान विकसित किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये वाद सं० सी-0473/एस-सेलाकुई/2025 योजित किया गया था। उक्त चालानशुदा/अनाधिकृत निर्माण कार्य को दिनांक 20/09/25 को सील किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को सीलिंग की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

उपजिलाधिकारी/पीठासीन अधिकारी,
म०दे०वि०प्रा०, तहसील विकासनगर,
जनपद-देहरादून।



प्रतिलिपि:-1. नायब तहसीलदार, विकासनगर, देहरादून को इस आशय के साथ कि नियत तिथि को उक्त कार्य को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने का कष्ट करें।

2. पुलिस अधीक्षक, पछवाडून को इस आशय से कि नियत तिथि को सील की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु एक क्षेत्राधिकारी को नियुक्त करते हुये पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

3. क्षेत्रीय सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को सील करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

4. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को सील से संबंधित समस्त सामग्री संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपजिलाधिकारी/पीठासीन अधिकारी,
म०दे०वि०प्रा०, तहसील विकासनगर,
जनपद-देहरादून।